आवश्यक/तत्काल

संख्या:96/2022/1718/1419506/12-2099/139/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2022

विषय: कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उर्वरकों की ससमय व्यवस्था कराने, उर्वरकों की बिक्री/वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, ओवररेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी की सतत निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान मे प्रदेश में कृषकों के द्वारा रबी फसलों की बुआई का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके कारण फॉस्फेटिक उर्वरकों की मांग कृषकों में तीव्र हुई है। कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं जमाखोरी/कालाबाजारी/निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाना शासन की प्राथमिकता है।

2. अतएव, कृषकों का निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं जमाखोरी/कालाबाजारी/निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य फॉस्फेटिक उर्वरकों (डी0ए0पी0/एन0पी0के0) की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियन्त्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।

(ii) उर्वरक बिक्रेताओं के द्वारा फॉस्फेटिक उर्वरकों के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उत्पादों की टैगिंग करके बिक्री न की जाए। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक बिक्रेता को प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति दिए जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उनके विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

(iii) कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही बोई गई फसल की संस्तुतियों के अनुरूप फॉस्फेटिक उर्वरकों की बिक्री की जाए, जिससे समस्त कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की जा सके।

(iv) फुटकर उर्वरक विक्रेता के साथ-साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टॉक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक उर्वरक विक्रेता अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थलीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो स्टॉक को बाजार में कृषकों हेतु बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सम्पादित की जाए।

(v) जनपदों में निजी क्षेत्र में डी0ए0पी0 की निरन्तर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहती है। समस्त ब्राण्डों की डी0ए0पी0 में मानक के अनुसार समान तत्व उपलब्ध रहते हैं। कृषकों को सहकारिता क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की डी0ए0पी0 क्रय करने हेतु जागरूक किया जाए।

(vi) https://dbtfert.nic.in/ पोर्टल पर डी0ए0पी0 एवं यूरिया उर्वरक टॉप-20 बायर्स की प्रत्येक माह जांच में अनियमित वितरण पाये जाने वाले प्रकरणों में दोषी के विरूद्ध नियमानुसार उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यकवस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ऐसे उर्वरक विक्रेताओं/असामाजिक तत्व, जो अवैध गतिविधियों यथा जमाखोरी, कालाबाजारी/अधिक दामों पर उर्वरकों की बिक्री, अन्य कम प्रचलित उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री/तस्करी/अधोमानक उर्वरकों की बिक्री में संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियन्त्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानुसार कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:96/2022/1718(1)/1419506/12-2099/139/2021 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0 स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त उर्वरक निरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त राज्य विपणन प्रबंधन/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in